सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 345 राँची, गुरुवार, 10 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

12 जून, 2025

संख्या-5/आरोप-1-111/2014(खण्ड) का०-3462--श्री ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 453/03, गृह जिला-सीतामढ़ी), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, राँची के पत्रांक-250, दिनांक 27.04.1995 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री सिन्हा के विरूद्ध इंदिरा आवास से योजनाओं में राशि भुगतान में अनियमितता, सिंचाई कूप योजनाओं में नजायज राशि वसूलने लाभान्वितों को शोषण करने, प्रखण्ड के सामान्य रोकड़ पंजी के संधारण में अनियमितता बरतने, सरसठ हजार रूपये का चेक अपने नाम से काटने तथा राशि के निकासी करने एवं अग्रिम पंजी में राशि को दर्ज नहीं करने, सुनिश्चित रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन में घोर अनियमितता बरतने, सधन रोजगार योजना में सरकारी निदेश का अनुपालन नहीं करने तथा अनियमितता बरतने, चुनाव कार्य में मतदाता सूची के महत्वपूर्ण कार्य में अनदेखी करने, आशुलिपिक से प्रधान लिपिक का काम लेने एवं उनसे प्रखण्ड के रोकड़ का सत्यापन कराने, अनाधिकृत अनुपस्थिति इत्यादि आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-7954, दिनांक-27.08.1997 द्वारा श्री सिन्हा को निलम्बित किया गया एवं संकल्प सं०-8366, दिनांक 05.09.1997 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा विभागीय कार्यवाही अभिलेख को आदेश दिनांक 16.07.1998 पारित करते हुए विभागीय को वापस कर दिया गया। आदेश में अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री सिन्हा का आचरण एवं व्यवहार आपत्तिजनक है तथा इनके द्वारा उन्हें विभिन्न तरह से प्रभावित करते हेतु प्रयास किया जा रहा था ।

विभागीय जाँच आयुक्त के आदेश के आलोक में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-11663, दिनांक 02.11.1998 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को पुनः संचालित किया गया एवं प्रशासनिक सुधार-सह-आरक्षण आयुक्त, बिहार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। परन्तु विभागीय कार्यवाही के दौरान उपायुक्त, राँची के तरफ से उपस्थापन पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रशासनिक सुधार एवं आरक्षण आयुक्त, बिहार-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-61, दिनांक 01.04.1999 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अभिलेख को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को वापस कर दिया गया ।

श्री सिन्हा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका सं०-सी० डब्लू० जे० सी० नं०-317/99 दायर किया गया एवं इससे संबंधित आई०ए० नं०-6094/99 की सुनवाई के पश्चात दिनांक 06.05.1999 माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि विभागीय कार्यवाही में छः सप्ताह के अन्दर निर्णय ले लिया जाय।

उक्त न्यायादेश के आलोक में आदेश सं०-6163, दिनांक 23.07.1999 द्वारा श्री सिन्हा को विभाग में योगदान की तिथि के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया गया। चूँकि प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक जाँच विभागीय कार्यवाही के माध्यम से वर्णित स्थिति में होना संभव नहीं रह गया, इसलिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा मामले की जाँच, प्राप्त आरोप पत्र, आरोपित पदाधिकारी के लिखित बचाव बयान एवं उपलब्ध अन्य कागजात के आधार पर की गई। जाँचोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिन्हा का लिखित बचाव बयान संतोषजनक नहीं है और उनहोंने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा नहीं रखी है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (i)(ii) के प्रतिकूल है। अतः असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49 के तहत श्री सिन्हा पर निन्दन का दण्ड अधिरोपित करते हुए इसकी प्रविष्टि उनके वर्ष 1994-95 की चारित्री में करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंशनादि के लिए की जायेगी। तद्नुसार इसके लिए संकल्प-6319, दिनांक 20.07.1999 निर्गत किया गया ।

श्री सिन्हा द्वारा उक्त संकल्प के विरूद्ध एल०पी०ए०-168/11 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.05.2011 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में पेंशन नियमावली के नियम-139बी के तहत् विभागीय पत्रांक-6793, दिनांक 02.07.2014 द्वारा आरोप प्रपत्र- 'क' की प्रति भेजते हुए श्री सिन्हा से कारण पृच्छा की गयी कि इन आरोपों के आलोक में उनकी सेवा को असंतोषजनक क्यों नहीं मानी जाय?

श्री सिन्हा ने अपने पत्र, दिनांक 21.07.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण पूर्व में ही इनके द्वारा दिया जा चुका है एवं पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही में सुनवाई एवं जाँच हेतु बचाव अभिकथन साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार श्री सिन्हा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है एवं न ही कोई ऐसा तथ्य समर्पित किया गया है, जिसके आधार पर इन्हें निर्दोष माना जा सके ।

श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप इनके द्वारा पूर्व में समर्पित बचाव-बयान एवं कारण पृच्छा के लिए समर्पित जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा का बचाव बयान तथा कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। अतः समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०-10932, दिनांक 13.11.2014 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री सिन्हा को निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की जायेगी। साथ ही, इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 10928, दिनांक 13.11.2014 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत् इनके पेंशन से पाँच प्रतिशत की राशि पाँच वर्षों तक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा माननीय राज्यपाल झारखण्ड के समक्ष अपील दायर किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-376, दिनांक- 12.02.2015 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिन्हा ने उन्हीं बातों को दुहराया है, जो इन्होंने अपने पूर्व के स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है। इस प्रकार श्री सिन्हा पर अधिरोपित दण्ड को बदलने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-5207, दिनांक 10.06.2015 द्वारा श्री सिन्हा का अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया ।

उक्त के आलोक में ही श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 5001/2015 में दिनांक 02.02.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसके द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-10928 दिनांक 13.11.2014 एवं अपील प्राधिकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 को रद्द कर दिया गया है। साथ ही, आरोपी पदाधिकारी को निलंबन अवधि के वेतन के साथ-साथ अन्य परिणामी देय वित्तीय लाभ की गणना कर आदेश प्राप्ति के आठ सप्ताह के भीतर पेंशन निर्धारण करने का आदेश दिया गया है। पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है-

"As a sequitur to the aforesaid rules, regulations, guidelines and juridical pronouncements, the impugned order dated 13.11.2014 and the appellant order dated 10.06.2015 are hereby quashed and set aside. The petitioner is entitled for consequential benefits as accrued to him i.e. the salary for suspension period. Since the petitioner is retired, the entire pensionery amount shall be extended to him within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No. 749/2023 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम ब्रज शंकर प्रसाद सिन्हा दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। साथ ही, श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय न्यायालय में Cont. Case (Civil) No. 877 of 2023 दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पारित न्यायादेश निम्नवत् है "List this case after four weeks. It is made clear that if the order dated 02.03.2023 passed in WP(S) No. 5001 of 2015 is not complied with by then, this Court will invoke jurisdiction under Rule 393 of the Jharkhand High Court Rules."

अतः मामले के सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है

(क) विभागीय आदेश सं०-10932, दिनांक 13.11.2014 एवं विभागीय संकल्प सं०-10928, दिनांक 13.11.2014, जिसके द्वारा निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने तथा पेंशन नियमावली के नियम-139बी के तहत् श्री सिन्हा के पेंशन से 5 प्रतिशत की राशि पाँच वर्षों तक कटौती करने का आदेश निर्गत किया गया है एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत संबंधित निर्गत संकल्प सं०-5207, दिनांक 10.06.2015 को विलोपित किया जाता है ।

(ख) उक्त विलोपन LPA No. 749/2023 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम ब्रज शंकर प्रसाद सिन्हा में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री ब्रज शंकर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 345 - 50